सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 14, शुक्रवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, **सितम्बर 4, 2023**

संख्या रा. वि. वि. आयोग/सचिव/विनियम-150 :-विद्युत अधिनियम धारा 2003 (2003 का 36वां) की धारा 61 एवं धारा 62 सपठित धारा 86 और धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः

1. लघु शीर्षक, प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमाः

(1) ये विनियम, ''राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023'' कहलायेंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 9 में संशोधनः

मुख्य उप-विनियम 9.2 में निम्नानुसार नया परन्तुक जोड़ा जायेगाः

''बशर्ते यह कि उप-विनियम 9.1 के अन्तर्गत आवृत परियोजनाओं के लिए परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट क्षमता उपयोग घटक (सीयूएफ) मानदंड न्यूनतम मानदंड होंगेः

बशर्ते यह भी कि उन परियोजनाओं के लिए जिनका विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अधीन यथा परिकल्पित केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, क्षमता उपयोग घटक (सीयूएफ) मानदंड दिशानिर्देशों/बोली दस्तावेजों, जैसा लागू हो, के अधीन यथा विहित होंगे।''

3. विनियम 91 में संशोधनः

(1) उप-विनियम 91.4.1 (ग) के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

''बशर्ते यह कि 01.04.2020 के पश्चात् स्थापित पीएसपी सहित भण्डारण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, या तो कैप्टिव परियोजना के रूप में स्थापित या खुला अभिगम के अंतर्गत तृतीय पक्ष को विद्युत की आपूर्ति करती है, के लिये राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रभारों एवं व्हीलिंग प्रभारों में 75 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि से परिचालन के प्रथम सात वर्षों के लिये लागू होगी।

बशर्ते यह भी कि 01.04.2020 के पश्चात् सौर विद्युत उर्जा परियोजना या तो कैप्टिव परियोजना के रूप में स्थापित या खुला अभिगम के अन्तर्गत विद्युत वाहन चार्जिंग केन्द्रों को विद्युत की आपूर्ति करती है, के लिये राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रभारों एवं व्हीलिंग प्रभारों में 100 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट विद्युत वाहन चार्जिंग केन्द्रों की स्थापना की तिथि से प्रथम दस वर्षों के लिये लागू होगी।

बशर्ते यह भी कि उपरोक्त छूट राज्य में अधिकतम 25 मेगावाट की वैयक्तिक संयंत्र क्षमता और 500 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं के लिये लागू होगी।''

(2) उप-विनियम 91.6 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार दो नये परन्तुक जोड़े जायेगेः

''बशर्ते यह कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित अवशिष्ट से उर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति यदि खुला अभिगम उपभोक्ता को की जाती है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिये किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।''

4. विनियम 92 में सशोधनः

विद्यमान उप-विनियम 92.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''92.2 नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की अधिकतम ए.सी. क्षमता (ए.सी. की ओर इन्वर्टर क्षमता) अनुबंधित ए.सी. क्षमता से अधिक नहीं होगी। यदि किसी भी समय-ब्लॉक के दौरान, यदि अधिकतम ए.सी. क्षमता अनुबंधित ए.सी. क्षमता से अधिक हो जाती है, तो 15-मिनट या 30-मिनट ब्लॉक, जो लागू हो, का तत्समान अतिरिक्त उत्पादन व्ययीत हो जायेगा।

स्पष्टीकरण : स्थापित डीसी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।''

5. विनियम 93 में संशोधनः

विद्यमान विनियम 93 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''93 बैंकिंग

93.1 इन विनियमों की नियंत्रण अवधि की प्रयोज्यता के दौरान विद्यमान अक्षय उर्जा आधारित संयंत्र एवं नवीन अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र, दोनों के लिये इन विनियमों में निर्दिष्ट बैंकिंग की निबन्धन एवं शर्ते लागू होगी।

93.2 बैंकिंग सुविधा लेने के लिये, अक्षय उर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र एबीटी अनुवर्ती विशेष ऊर्जा मीटर (एसईएम) स्थापित करेगा, जो प्रत्येक ब्लाक के 15 मिनिट के लिये ऊर्जा लेखांकन में सक्षम होगा।

93.3 उपभोग छोर पर माह के दौरान अक्षय उर्जा कैप्टिव उत्पादन केन्द्र द्वारा इंजेक्ट की गयी उर्जा की अधिकतम 25 प्रतिशत की सीमा के अधीन ऊर्जा की बैंकिंग या उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत के कुल मासिक उपभोग का 30 प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, राज्य के भीतर केवल कैप्टिव उपभोग के लिये अनुमत की जायेगी।

बशर्ते कि खुला अभिगम के अन्तर्गत तृतीय पक्ष को आपूर्ति कर रहे अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिये और मीटर के पीछे स्थापित अक्षय ऊर्जा संयंत्र के लिये कोई भी बैंकिंग सुविधा अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

बशर्ते यह कि बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिये, अक्षय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन केन्द्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ व्हीलिंग एवं बैंकिंग अनुबन्ध करेगे।

93.4 बैंकिंग अवधि

93.4.1 वित्तीय वर्ष के लिये बैंकिंग वार्षिक आधार पर अनुमत की जायेगी।

93.5 बैंकिंग के लिये ऊर्जा लेखांकन

93.5.1 जबकि समय पर प्रवृत्त किसी भी अन्य विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उर्जा लेखांकन निम्नानुसार होगाः

93.5.2. बैंकिंग तथा बैंक की गयी ऊर्जा की निकासी यथा अपेक्षित अनुसूचन के अधीन होगी ।

93.5.3 किसी माह में हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् इंजेक्ट की गयी उर्जा का वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए महीने के व्यस्ततम घंटों के दौरान आहरण की गयी अतिरिक्त उर्जा को छोड़कर, उसी माह में डिस्कॉम से

ली गयी उर्जा के विरुद्ध निपटारा किया जायेगा। अतिरिक्त उर्जा, यदि कोई हो, को बैंकिंग प्रभारों को समायोजित करने के पश्चात्, उपरोक्त नियम 93.3 के अनुसार सीमा के अध्यधीन अगले माह में अग्रनीत किया जायेगा।

उदाहरण :

यदि किसी माह में हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् 1000 यूनिट उर्जा इंजेक्ट की गयी है और उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत का उपभोग कुल मासिक 900 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों में उपभोग की गयी अतिरिक्त यूनिट 100 हैं। विशेष माह के लिये विचार की जाने वाली अतिरिक्त इंजेक्टेड उर्जा 200 यूनिट (1000-(900-100) होगी और इसे अगले माह में अग्रनीत किया जायेगा क्योंकि यह बैंकिंग ऊर्जा सीमा (1000 यूनिट के 25 प्रतिशत से अधिक या 900 यूनिट का 30 प्रतिशत) के भीतर है। अगले माह के लिये मानी जाने वाली बैंक की गयी उर्जा 200 × (1-8%) = 184 यूनिट होगी। डिस्कॉम व्यस्ततम् घंटों के दौरान उपभोग की गयी अधिक 100 यूनिट ऊर्जा के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

स्पष्टीकरणः एक माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान आहरण की गयी अतिरिक्त ऊर्जा = (माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान आहरण की गयी कुल उर्जा - माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान इंजेक्टेड कुल उर्जा)

यदि अगले माह में हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् 1000 यूनिट उर्जा इंजेक्ट की गयी है और उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम से विद्युत का कुल मासिक उपभोग 750 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों में उपभोग की गयी अतिरिक्त यूनिट 100 है, उस विशेष महीने के लिये विचार की जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा 350 यूनिट (1000-(750-100) होगी। 350 यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा में से, केवल 250 यूनिट (1000 यूनिट के 25 प्रतिशत या 750 यूनिट के 30 प्रतिशत से अधिक) को बैंक में जमा किया जायेगा और अगले माह में अग्रनीत किया जायेगा, शेष 100 यूनिट (350 – 250) समाप्त हो जायेगी। तदनुसार, 414 यूनिट के बराबर 230 {250 × (1–8%)} + 184 घंटों के दौरान उपभोग की गयी अधिक 100 यूनिट ऊर्जा के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

यदि अगले माह के दौरान, हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् 1000 यूनिट ऊर्जा इंजेक्ट की गयी है और उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम से विद्युत का मासिक उपभोग 1500 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों के दौरान उपभोग की गयी अतिरिक्त यूनिट 200 यूनिट है तो उस विशेष माह में अव्यस्ततम घंटो के दौरान उपभोग की गयी ऊर्जा {1000 (1500 – 200)} = -300 यूनिट होगी; इस मामले में, उपरोक्त अतिरिक्त निकाली गयी 300 यूनिट को पहले से बैंक में रखी गयी 414 यूनिट के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा और शेष 114 यूनिट को अगले माह में ले जाया जायेगा। डिस्कॉम व्यस्ततम घंटों के दौरान अधिक 200 यूनिट के उपभोग के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

93.5.4 वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपयोजित बैंक की हुई ऊर्जा समाप्त हो जायेगी और विद्युत मंत्रालय/केविविआ (सी.ई.आर.सी.) द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र व्यपगत (समाप्त) बैंक की हुई ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

93.6 बैंक की गयी उर्जा के 8 प्रतिशत की दर से बैंकिंग प्रभार माल के रूप/वस्तु के रूप में संदेय होंगे और आहरण से पहले बैंक की गयी ऊर्जा के तहत समायोजित किये जायेंगें।

उदाहरणः यदि हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् उपभोग के अंत में उर्जा की 100 यूनिटे बैंक की गयी है तो कैप्टिव उपभोक्ता बैंक की गयी ऊर्जा की 92 यूनिटों का आहरण करने के लिये योग्य होगा और 8 यूनिटों की यथा बैंकिंग प्रभारों के कटौती की जायेगी।

6. नये विनियम 94 क, 94 ख और 94 ग को जोड़नाः

विद्यमान विनियम 94 के नीचे निम्नानुसार नये विनियम 94क, 94ख और 94ग जोड़े जायेंगेः

''94 क. हरित ऊर्जा टैरिफ

(1) कोई भी उपभोक्ता उपभोग के किसी निश्चित प्रतिशत या उसके संपूर्ण उपभोग तक हरित ऊर्जा क्रय करने का चयन कर सकता है और वे इसके लिये अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास मांग कर सकते हैं, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा का क्रय करेगा और इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता को सौर और गैर-सौर के लिये अलग-अलग मांग देने की छूट होगी;

(2) उपभोक्ता जितना वह क्रय करने के लिये बाध्य है, स्वैच्छिक आधार पर उससे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय कर सकता है, और कार्यान्वयन की आसानी के लिये, यह पच्चीस प्रतिशत के चरणों में हो सकता है और सौ प्रतिशत तक जा सकता है;

(3) आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न लागत घटकों पर विचार करते हुए, पृथक आदेश के माध्यम से अलग से हरित ऊर्जा के लिये टैरिफ निर्धारित की जायेगी;

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा की कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिये होगी;

(5) हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिये पूर्व-निर्दिष्ट होगी,

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बाध्य इकाई के अक्षय क्रय बाध्यता से अधिक क्रय की गयी हरित

ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अक्षय क्रय बाध्यता के अनुपालन में माना जायेगा;

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर आपूर्ति की गयी नवीकरणीय ऊर्जा का लेखांकन मासिक आधार पर होगा।

94ख. हरित प्रमाणपत्र

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की अक्षय क्रय बाध्यता से अधिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की गयी हरित ऊर्जा के लिये उपभोक्ताओं को उनके अनुरोध पर वार्षिक आधार पर हरित प्रमाणपत्र देगा।

94 ग. श्रेणीकरण (रेटिंग)

आयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी हरित ऊर्जा के प्रतिशत के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता की श्रेणीकरण (रेटिंग) की अवधारणा की शुरूआत कर सकता है।

आयोग की आज्ञा से,

हिमांशु खुराना,
सचिव।

Rajasthan Electricity Regulatory Commission

Notification

Jaipur, September 04, 2023

No. RERC/Secy./Reg./ 150- In exercise of the power conferred under the Sections 61 and Section 62 read with Section 86 and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations namely:

1.Short title, commencement and extent of application:

(1) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (First Amendment) Regulations, 2023.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Regulation 9:

The following new provisos shall be added to the main sub-regulation 9.2 as under:

"Provided that the CUF norms specified for determining the project specific tariff for the projects covered under sub-regulation 9.1 shall be the minimum norm:

Provided further that the CUF norms for the projects whose tariff is to be determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government as envisaged under Section 63 of the Act shall be as prescribed under the guidelines/bid documents, as applicable."

3.Amendment in Regulation 91:

(1) The second, third and fourth proviso to the sub-regulation 91.4.1 (c) shall be substituted with the following:

"Provided further that there shall be an exemption of 75% in Intra-State transmission charges and wheeling charges for the Renewable Energy with Storage projects including PSP installed after 01.04.2020 either set up as Captive Project or supplying power to third party under Open Access. This exemption shall be applicable for first seven years of operation from the date of commissioning of the Project:

Provided also that there shall be an exemption of 100% in Intra State transmission charges and wheeling charges for Solar Power Project set up after 01.04.2020 for supplying power to Electric Vehicle charging stations either under Captive route or through open access. This exemption shall be applicable for first ten years from the date of establishing of Electric Vehicle charging stations:

Provided also that the above exemptions shall be applicable for projects with individual plant capacity of maximum 25 MW and for the total capacity of 500 MW in the State."

(2) Two new provisos shall be added below the existing proviso to sub-regulation 91.6 as under:

"Provided further that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel based Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that the cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia."

4.Amendment in Regulation 92:

The existing sub-regulation 92.2 shall be substituted with the following:

"92.2 The peak AC capacity (inverter capacity on AC side) of the renewable energy captive generating plant shall not exceed the contracted AC capacity. In case during any time block, if the peak AC capacity exceeds the contracted AC capacity the corresponding excess generation of 15-Minute or 30-Minute block, as applicable shall lapse.

Explanation: There shall be no restriction on installed DC capacity."

5. Amendment in Regulation 93:

The existing regulation 93 shall be substituted with the following:

"93. Banking

93.1 The terms and conditions of Banking specified in these Regulations shall be applicable for both existing Renewable Energy based plants and new Renewable Energy based plants during the application of control period of these Regulations.

93.2 For availing the banking facility, the Renewable Energy based captive power plant shall install ABT compliant Special Energy Meters (SEMs), capable of energy accounting for each block of 15 minutes.

93.3 Banking of Energy subject to a maximum ceiling of 25 % of the energy injected by Renewable Energy Captive Generating Station during the month or 30% of the total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the consumer, whichever is higher, at consumption end shall be allowed only for captive consumption within the State:

Provided that no banking facility shall be allowed for Renewable Energy plants supplying power to third party under open access and for the Renewable Energy plant installed behind the meter:

Provided further that for availing Banking Facility, Renewable Energy Captive Generating Station will enter into Wheeling and Banking Agreement with Distribution Licensee.

93.4 Period of banking:

93.4.1 The banking shall be allowed on annual basis for the financial year.

93.5 Energy Accounting for Banking:

93.5.1 Notwithstanding anything contrary contained in any other Regulations time being in force the Energy Accounting shall be as under:

93.5.2 The banking as well as withdrawal of banked energy shall be subject to scheduling as required.

93.5.3 In a month the energy injected after accounting for losses shall be set off against the energy drawn from the Discom in the same month except excess energy drawn during the peak hours in the month declared by Distribution Licensee from time to time. The excess energy, if any, shall be carried forward to next month subject to limits as per reg 93.3 above, after adjusting the banking charges.

Illustration:

If in any month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the total monthly consumption of electricity from the Distribution licensee by the consumer is 900 units out of ·which excess units consumed in peak hours are 100. Then excess injected energy to be considered for the particular month shall be 200 units (1000-(900-100)) and the same shall be carried forwarded to next month as it is within the banking energy limit (higher of the 25% of 1000 units or 30% of 900 units). The banked energy considered for next month will be 200 x (1-8%) = 184 units. The Discom will raise the bill for excess 100 units of energy consumed during peak hours as per applicable tariff.

Explanation: The excess energy drawn during the peak hours in a month = (Total energy drawn during the peak hours in the month-Total energy injected during the peak hours in the month).

If during the next month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the total monthly consumption of the electricity from the Discom by the consumer is 750 units out of

which excess units consumed in peak hours are 100, the excess energy injected to be considered for that particular month shall be 350 units (1000- (750-100)). Out of excess energy of 350 units, only 250 units (higher of the 25% of 1000 unit or 30% of 750) shall be banked and carried forwarded to next month, remaining 100 units (350-250) shall lapse. Accordingly, 230 (250 x (1- 8%)) +184 (Banked during previous month) equal to 414 units shall be carried forward to the next month. The Discom will raise the bill for excess 100 units of energy consumed during peak hours as per the applicable tariff.

If during the next month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the monthly consumption of the electricity from the Discom by the consumer is 1500 units out of which excess units consumed in peak hours are 200 units then the energy consumed during off peak hours in that particular month shall be (1000-(1500- 200) = -300 units. In this case the above excess drawn 300 units will be adjusted against previously banked 414 units and balance 114 units will be carried forward to the next month. The Discom will raise the bill for excess 200 units consumed during the peak hours as per the applicable tariff.

93.5.4 Unutilized banked energy at the end of financial year shall lapse and the renewable energy captive generating plant shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy in accordance with rules/regulations framed by the MoP/CERC.

93.6 Banking charges at the rate of 8% of banked energy would be payable in kind and shall be adjusted against the banked energy before withdrawal.

Illustration: If 100 Units of energy have been banked at the consumption end after accounting for losses, the Captive consumer will be able to draw 92 units of banked energy and 8 units will be deducted as banking charges."

6.Insertion of new Regulations 94A,94B & 94C:

The following new Regulations 94A, 94B & 94C shall be inserted below the existing regulation 94:

"94A. Green Energy Tariff

(1) Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;

(2) The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of Twenty-five per cent and going up to Hundred per cent;

(3) The tariff for the green energy shall be determined separately by the Commission through a separate order, considering various cost components of the Distribution Licensee;

(4) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;

(5) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;

(6) The green energy purchased from distribution licensee or from Renewable Energy sources other than distribution licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee;

(7) The Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis.

94B. Green certificate

The distribution licensee shall give green certificate on yearly basis to the consumers for the green energy supplied by the licensee to consumer on his request beyond the renewable purchase obligation of the consumers.

94C. Rating

The Commission may introduce the concept of rating of the consumer of the distribution licensee, based on the percent of green energy purchased by such consumer."

By Order of the Commission,

Himanshu Khurana,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।